



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय भारत सरकार



(आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

संस्करण 6.0

उज्ज्वला केवाईसी आवेदन (काली स्याही द्वारा बड़े अक्षरों में भरा जाना है। सभी फील्ड भरना अनिवार्य हैं।)

अपनी तस्वीर
यहां चिपकाएं

उपभोक्ता विवरण	प्रवासी: हाँ	नहीं								
a) आवेदक का नाम सुश्री/श्रीमती (आधार के अनुसार)										
1 प्रथम नाम										
2 मध्य नाम										
3 अंतिम नाम										
4 आधार										
5 मोबाइल										
जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य							
			b) जन्म तिथि							
			D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

b) एलपीजी कनेक्शन के लिए पता/संपर्क जानकारी										
1 पते का प्रमाण (पीओए) श्रेणी कोड*	P	O	A		मोबाइल					
2 मकान/फ्लैट, का नाम									मंजिल संख्या	
3 आवास परिसर/भवन									भूमि चिन्ह	
4 गली/सड़क का नाम									क्षेत्र/डाकघर का नाम	
5 शहर/कस्बा									पिन कोड	
6 गाँव/पंचायत									ईमेल आईडी	
7 ब्लॉक/उप-जिला										
8 जिला										
9 राज्य										

c) राशन कार्ड/आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों को प्रमाणित करने वाले किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी घरेलू सदस्यों का विवरण (साझा रसोई वाले आवास इकाई में एक साथ रहने वाले लोग शामिल हैं) / स्व घोषणा (केवल प्रवासी श्रमिकों के मामले में)					
क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम	लिंग (पुरुष/स्त्री)	आधार नंबर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	आधार का उपयोग करने की सहमति के लिए हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5					

d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड मुद्रित हो)										
1 बैंक खाते में नाम										
2 बैंक का नाम										
3 शाखा का नाम								4. आईएफएससी कोड		
5 बैंक खाता संख्या										

e) राशन कार्ड/परिवार के सदस्यों के विवरण/स्व घोषणा (प्रवासियों के मामले में) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज (राशन कार्ड/राज्य विशिष्ट दस्तावेज/अनुलग्नक-1 की एक प्रति संलग्न करें (प्रवासियों के मामले में))										
1 जारीकर्ता राज्य										
2 राशन कार्ड संख्या/राज्य विशिष्ट दस्तावेज संख्या										
f) केवाईसी के साथ संलग्न लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14 सूत्री घोषणा					हाँ			नहीं		
g) प्रवासी प्रमाणन (अनुबंध - I)					हाँ			नहीं		

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स/बक्सों को चिह्नित करें)										
1 वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)				5 किग्रा सिलेंडर				14.2 किग्रा सिलेंडर		
2 वांछित चूल्हे का प्रकार				1 - चूल्हा				2 - चूल्हा		

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विवरण

- अ) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
- ब) यह योजना सिलेंडर की सुरक्षा जमा की लागत, दबाव नियामक, डीजीसीसी की लागत, सुरक्षा नली और स्थापना और प्रशासनिक शुल्क को कवर करने के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, लाभार्थी को हॉट प्लेट और पहला एलपीजी रिफिल भी दिया जाएगा।
- क) आपके घर में पीडीएस एलपीजी कनेक्शन के न होने के सफल सत्यापन और पुष्टि पर, लागू नियमों और शर्तों के अधीन आपको एलपीजी कनेक्शन जारी किया जा सकता है।

*पीओए दस्तावेजों की सूची

- आधार (यूआईडी)-POA01 | पासपोर्ट-POA02
पासबुक/बैंक स्टेटमेंट-PO-03
राशन कार्ड/एनएफएस कार्ड-POA04
ड्राइविंग लाइसेंस-POA05 | मतदाता पहचान पत्र-POA06
पासबुक/डाकघर खाता विवरण-POA07
पानी का बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA08
बिजली बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA09
संपत्ति कर रसीद (पिछले 1 वर्ष में जारी)-POA10
बीमा पॉलिसी-POA11
लेटरहेड पर हस्ताक्षरित पत्र जिसमें बैंक द्वारा जारी की गयी फोटो हो- POA12
फोटो आईडी जिसमें पता/हस्ताक्षरित पत्र हो जिसमें किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया फोटो हो- POA13

- शुल्क लाइसेंस-POA14
एसएसएलसी बुक जिसमें फोटोग्राफ-POA15 शामिल है
नरगा जॉब कार्ड-POA16 | स्वतंत्रता सेनानी कार्ड-POA17
भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड-POA18
किसान पासबुक-POA19
पंजीकृत पट्टा/बिक्री/किराया समझौता-POA20
डाक विभाग ने फोटोग्राफ युक्त पता कार्ड जारी किया-POA21
राज्य सरकार ने जारी किया जाति और निवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो-POA22 शामिल है
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/प्रशासनों ने विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र या विकलांगता आईडी कार्ड-POA23 जारी किया
सरकार ने विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जिसमें पता-POA24 शामिल है
स्व-घोषणा (केवल प्रवासियों के लिए) POA25



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय भारत सरकार



प्रिय एलपीजी वितरक,

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष, निवासी.....

.....अपने नाम पर धरेलू एलपीजी कनेक्शन लेना चाहता हूँ और निम्नानुसार पुष्टि करता हूँ:

- य) मैं यहां पुष्टि करता हूँ कि, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मैं समझता हूँ कि, झूठी जानकारी, यदि कोई हो तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।
- र) मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपी एंड एनजी को किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/मेरे बैंक खाते के परिवर्तन/बंद/निष्क्रिय होने के मामले में/बैंक एनएसीएच में नहीं है या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या किसी भी जानकारी की गैर-गोपनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ल) उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूंगा।
- व) मैं अपनी तेल कंपनी/मेरे बैंक को डी-डुप्लीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्य आधार संख्या/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाते के विवरण को अपने बीच और बाहरी एजेंसियों के साथ अपडेट/साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ।
- श) एलपीजी की आपूर्ति और वितरण से संबंधित सरकारी विनियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, आईओसी/बीपीसी/एचपीसी मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करने, सुरक्षा जमा को जब्त करने, हॉट प्लेट सहित उपकरणों को वापस लेने और नीति अनुसार दंडात्मक शुल्क लगाने के अपने अधिकार के भीतर होगा और दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के तहत लागू कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
- ष) मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत में रहता हूँ।
- स) कि मेरी जन्म तिथि.....है (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है)
- ह) न तो मैं, और न ही घर के किसी अन्य सदस्य (परिवार का अर्थ है एक परिवार जिसमें सभी सदस्य परिवार संरचना कार्ड में एक साथ रह रहे हैं, जिसमें एक आम रसोई है) के पास/अधीन पीएसयू तेल कंपनियों या पाइपड प्राकृतिक गैस कनेक्शन से कोई एलपीजी कनेक्शन है। हमारे आवास इकाई में धरेलू उपयोग के लिए। ('परिवार' जिनके पास पाइप से प्राकृतिक गैस कनेक्शन है, वे सब्सिडी वाले एलपीजी के पात्र नहीं हैं।)
- ळ) मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग मेरे उपरोक्त पते पर और केवल धरेलू खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और मैं इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों
- क्ष) कि मैं **भारतीय नागरिक** हूँ। मैं कोई अन्य एलपीजी गैस सिलेंडर स्थापित नहीं रखूंगा।
- झ) जब कभी मुझे इस कनेक्शन के लिए दूसरा सिलेंडर जारी किया जाएगा तो उसका उपयोग उसी रसोई में और मूल संस्थापन के साथ करूंगा।
- श्र) जब भी मैं अपने निवास वर्तमान पते से दूसरे पते पर या अपना मोबाइल नंबर बदलूंगा, मैं मैसर्स को सूचित करूंगा.....वितरक/आरजीजीएलवी का नाम) लिखित रूप में पता/मोबाइल नंबर बदलने की अग्रिम सूचना दूंगा।
- प) मुझे पता है कि धरेलू सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन मैसर्स द्वारा जारी किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल)/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल)/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) इस घोषणा और मेरे द्वारा इस में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) फॉर्म, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, बाद में किसी भी सरकार के साथ किसी अन्य धरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन के अस्तित्व के लिए डी-डुप्लीकेशन जांच के अधीन होना चाहिए। तेल कंपनी, मेरे नाम पर या मेरे 'परिवार' के किसी अन्य सदस्य के नाम पर।
- फ) यह कि यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा, "केवाईसी" फॉर्म या पहचान/निवास प्रमाण के समर्थन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज असत्य या मलत पाया जाता है, तो तेल कंपनी को आपूर्ति वापस लेने का अधिकार होगा। गैस/कनेक्शन समाप्त करें/हॉट प्लेट सहित उपकरणों को जब्त करें/सुरक्षा जमा जब्त करें, पहली रिफिल की लागत और प्राप्त सब्सिडी की वसूली करें और यह कि इस तरह की निकासी/समाप्ति/जबती/वसूली के लिए आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।
- ग) मैं और मेरे परिवार के सदस्य स्वेच्छा से और जानते हुए एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ओएमसी के साथ आधार संख्या और आधार दस्तावेज साझा कर रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक:.....स्थान:.....

नाम:.....

जिस श्रेणी में आवेदक आवेदन कर रहा है और अपने दस्तावेज जमा कर रहा है, उसके आधार पर डीलर/वितरक द्वारा भरा जाना है।

कोड	आवेदक ने श्रेणी में आवेदन किया (बॉक्स को चिह्नित करें)	दस्तावेज सं.	दस्तावेज जारी करने की तिथि (dd/mm/yy)	जारी करने का स्थान
01	अनुसूचित जाति			
02	अनुसूचित जनजाति			
03	पीएमएवाई			
04	अति पिछड़ा वर्ग			
05	अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)			
06	चाय जनजाति और पूर्व चाय जनजाति			
07	वनवासी			
08	नदी के द्वीप			
09	एसईसीसी एचएच (एएचएल-टिन) [^]			लागू नहीं
10	14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब एचएच			लागू नहीं

[^](एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में अंकित है जो परिवार में एक व्यक्ति से संबंधित है)

[#] मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी को उनके मूल के साथ सत्यापित किया गया है।

एलपीजी आईडी (यदि आवंटित हो):

वितरक के हस्ताक्षर



पावती पची



उज्जवला आवेदन प्राप्त किया (नाम).....

स्थान.....

दस्तावेज सं.

राशन कार्ड नंबर / कोई अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज संख्या जो परिवार के सदस्यों के विवरण को प्रमाणित करता हो

दिनांक:.....

वितरक के हस्ताक्षर और मुहर

एलपीजी सब्सिडी से निकलने हेतु (घोषणा प्रपत्र)

उपभोक्ता विवरण

उपभोक्ता का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती

उपभोक्ता संख्या

एलपीजी आईडी

वितरक विवरण

वितरक का नाम

मेसर्स

प्रिय एलपीजी वितरक,

मुझे ज्ञात है कि भारत सरकार के दिनांक 28.12.2015 के निर्देशानुसार उस उपभोक्ता को, जिसकी अथवा जिसकी/जिसके पत्नी/पति की कर योग्य आय यदि पिछले वित्त वर्ष के दौरान रु.10,00,000/- (रुपये दस लाख) से अधिक थी (आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अभिकल्पित), एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

1. मेरी अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति की वार्षिक आय रु.10 लाख से अधिक है।

2. मेरी अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति की वार्षिक आय रु.10 लाख से कम है।

कृपया उपयुक्त
बॉक्स में टिक करें

पैन विवरण

पैन संख्या* (उपभोक्ता)

पैन नहीं है

पैन संख्या* (उपभोक्ता का/की पति/पत्नी)

पैन नहीं है

*कृपया पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

ऊपर दी गई सूचना सही है एवं मुझे पता है कि झूठी सूचना देना भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।

सब्सिडी पात्रता हेतु मेरे अथवा मेरी/मेरे पत्नी/पति की आय में किसी प्रकार का संशोधन होने पर मैं इस घोषणा पत्र को दोबारा जमा करूंगा।

दिनांक _____

स्थान _____

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

पावती पर्ची

(नाम) _____ उपभोक्ता संख्या _____ से आय संबंधी

घोषणा पत्र प्राप्त किया गया।

दिनांक:

एलपीजी वितरक के हस्ताक्षर व मुहर

केवाईसी प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश

* चिन्हित मर्दों को भरना अनिवार्य है तथा केवाईसी प्रस्तुत करने वाले ग्राहक द्वारा भरा जाए																												
1 ए)	नाम	फोटो आईडी प्रमाण में दिए गए नाम के अनुसार ही भरें।																										
1 बी)	गैस उपभोक्ता संख्या	आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल से पहले ही गैस लेने वाले उपभोक्ताओं हेतु अनिवार्य है।																										
1 डी)	नजदीकी रिश्तेदार का विवरण	पिता या पति/पत्नी का नाम देना अनिवार्य है। जो लागू न हो उसे काट दें।																										
2	निवास प्रमाण (पीओए)	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज को संलग्न करें तथा प्रपत्र में श्रेणी का उल्लेख करें। निवास के स्थान पर वही पता भरा जाए जो निवास प्रमाण पत्र में लिखा हो। केवाईसी प्रस्तुत करने वाले ग्राहक को वितरक द्वारा सत्यापन करने हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">दस्तावेजों की सूची</td> <td style="width: 30%;">श्रेणी कोड</td> </tr> <tr> <td>आधार (यूआईडी)</td> <td>पीओए 01</td> </tr> <tr> <td>ड्राइविंग लाइसेंस</td> <td>पीओए 02</td> </tr> <tr> <td>लीज करार</td> <td>पीओए 03</td> </tr> <tr> <td>वोटर आईडी</td> <td>पीओए 04</td> </tr> <tr> <td>टेलीफोन / बिजली / पानी का बिल</td> <td>पीओए 05</td> </tr> <tr> <td>पासपोर्ट</td> <td>पीओए 06</td> </tr> <tr> <td>राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्वयं घोषणा</td> <td>पीओए 07</td> </tr> <tr> <td>राशन कार्ड</td> <td>पीओए 08</td> </tr> <tr> <td>फ्लैट आवंटन पत्र / अधिग्रहण पत्र</td> <td>पीओए 09</td> </tr> <tr> <td>आवास पंजीकरण पत्र</td> <td>पीओए 10</td> </tr> <tr> <td>एलआईसी पालिसी</td> <td>पीओए 11</td> </tr> <tr> <td>बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट</td> <td>पीओए 12</td> </tr> </table>	दस्तावेजों की सूची	श्रेणी कोड	आधार (यूआईडी)	पीओए 01	ड्राइविंग लाइसेंस	पीओए 02	लीज करार	पीओए 03	वोटर आईडी	पीओए 04	टेलीफोन / बिजली / पानी का बिल	पीओए 05	पासपोर्ट	पीओए 06	राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्वयं घोषणा	पीओए 07	राशन कार्ड	पीओए 08	फ्लैट आवंटन पत्र / अधिग्रहण पत्र	पीओए 09	आवास पंजीकरण पत्र	पीओए 10	एलआईसी पालिसी	पीओए 11	बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट	पीओए 12
दस्तावेजों की सूची	श्रेणी कोड																											
आधार (यूआईडी)	पीओए 01																											
ड्राइविंग लाइसेंस	पीओए 02																											
लीज करार	पीओए 03																											
वोटर आईडी	पीओए 04																											
टेलीफोन / बिजली / पानी का बिल	पीओए 05																											
पासपोर्ट	पीओए 06																											
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्वयं घोषणा	पीओए 07																											
राशन कार्ड	पीओए 08																											
फ्लैट आवंटन पत्र / अधिग्रहण पत्र	पीओए 09																											
आवास पंजीकरण पत्र	पीओए 10																											
एलआईसी पालिसी	पीओए 11																											
बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट	पीओए 12																											
3 ए)	पहचान का प्रमाण (पीओआई)	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज को संलग्न करें तथा प्रपत्र में श्रेणी का उल्लेख करें। ग्राहक को वितरक द्वारा सत्यापन करने हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">दस्तावेजों की सूची</td> <td style="width: 30%;">श्रेणी कोड</td> </tr> <tr> <td>आधार (यूआईडी/ईआईडी) संख्या</td> <td>पीओआई01</td> </tr> <tr> <td>पासपोर्ट संख्या</td> <td>पीओआई02</td> </tr> <tr> <td>पैन कार्ड संख्या</td> <td>पीओआई03</td> </tr> <tr> <td>वोटर आईडी कार्ड</td> <td>पीओआई04</td> </tr> <tr> <td>केंद्र / राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड</td> <td>पीओआई05</td> </tr> <tr> <td>ड्राइविंग लाइसेंस</td> <td>पीओआई06</td> </tr> </table>	दस्तावेजों की सूची	श्रेणी कोड	आधार (यूआईडी/ईआईडी) संख्या	पीओआई01	पासपोर्ट संख्या	पीओआई02	पैन कार्ड संख्या	पीओआई03	वोटर आईडी कार्ड	पीओआई04	केंद्र / राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड	पीओआई05	ड्राइविंग लाइसेंस	पीओआई06												
दस्तावेजों की सूची	श्रेणी कोड																											
आधार (यूआईडी/ईआईडी) संख्या	पीओआई01																											
पासपोर्ट संख्या	पीओआई02																											
पैन कार्ड संख्या	पीओआई03																											
वोटर आईडी कार्ड	पीओआई04																											
केंद्र / राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड	पीओआई05																											
ड्राइविंग लाइसेंस	पीओआई06																											

FORMAT FOR TRANSFER OF DOMESTIC LPG CONNECTION

To,

Name & Address of the Distributorship:-M/s _____

From: Name of the Transferor:- _____

Address Of the Transferor:- _____

Subscription Voucher (SV) number:- _____ dated _____ Consumer No : _____

Name of the Transferee:- _____

Address of the Transferee:- _____

Relationship with Transferor:- _____

Type of transfer/
Regularisation
(Tick the appropriate
Box)

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Type A:- Transfer by Subscriber to family member |
| <input type="checkbox"/> | Type B:- Transfer Outside family |
| <input type="checkbox"/> | Type C:- Transfer without consent letter from Transferor |
| <input type="checkbox"/> | Type D:- Transfer to next of kin in case of death of Subscriber |
| <input type="checkbox"/> | Type E:- Regularisation of connection (LPG equipment held without possessing SV). |

Declaration by Transferor (Strike off if Not applicable)

I Mr./Mrs/Ms _____, am no more in need the abovementioned LPG connection and request you to transfer the same to the transferee. I hereby authorise you to handover the security deposit amount held in my name to Mr./Mrs/Ms..... I hereby confirm that I will not have any claim at a later date on you in respect of the said LPG connection or the equipment / security deposit towards the same.

Name _____ Signature _____ Date _____ Place _____

Declarations by Transferee / Regularised consumer

I, Mr./Mrs/Ms _____ an Indian Citizen above 18 years of age, hereby confirm that I will submit documents required for the LPG connection, deposit security amount for loan of the LPG equipment as per your terms and conditions. I request you to transfer the abovementioned LPG connection in my name **OR** issue Subscription Voucher in my name for the equipment presently held by me without SV (Strike out whichever is not applicable).

I hereby undertake to indemnify M/s Indian Oil Corporation (IOC)/Bharat Petroleum Corporation (BPC)/Hindustan Petroleum Corporation (HPC) against any claims whatsoever arising in respect of the LPG connection transferred / regularised in my name and the equipment/ security deposit thereunder.

I also affirm as under:-

- That I am not in possession of LPG connection of IOC/BPC/HPC for my domestic use, either in my name or in name of any of my family members residing with me in the same dwelling unit.
- That my household is independent of other households or kitchens if any within the same address.
- That if any information/declaration given by me in this undertaking or any document submitted by me for availing this LPG connection whether in support of KYC/identity/date of birth/residence proof/Death certificate etc., shall be found untrue or incorrect or false, IOC/BPC/HPC would be within its rights to withdraw the supply of Gas/terminate the LPG connection/seize the equipments/forfeit the security deposit & that I would have no claim, whatsoever against the IOC/BPC/HPC for such withdrawal/termination/seizure/forfeiture.

I hereby verify and confirm that what has been stated above is true to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

Name _____ Signature _____ Date _____ Place _____

Declaration By Distributor

I confirm having physically verified the above premises on _____ and found it to be an independent household with separate Kitchen at the address _____

Name of visiting Distributor's Representative _____

Signature _____

Distributor's Seal & Signature

Format for Re-activation of Deactivated Connection

To	
Name of Distributor	

From	
LPG ID (16 digit)	

Name of Consumer	
First Name	

Middle Name	
-------------	--

Last Name	
-----------	--

Reason For Not availing refills for More than 3 years

--

Signature of Consumer	
-----------------------	--